न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), गोण्डा।
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1289/2026
CNR No. UPG010037552026

करनदीप मल्होत्रा आयु करीब 56 साल पुत्र स्व. सुदेश मल्होत्रा, निवासी मल्होत्रा ट्रैक्टर्स 300 छेदीपुरवा, थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा।

–––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। **–––––– अभियोगी।**

मुकदमा अपराध संख्या 576/2023,
धारा–420,406,504,506,352 भा०दं०सं०,
थाना को०नगर, जिला गोण्डा।

दिनांक 08.06.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त करनदीप मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जरिये अधिवक्ता मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र से समर्थित अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी पूर्ण रूपेण बेगुनाह है। वादी द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद एवं निराधार हैं। सही यह कि वादी प्रार्थी के ट्रैक्टर्स एजेन्सी पर कार्य करता है चूंकि वादी पुराना एवं अनुभवी वर्कर था। प्रार्थी को व्यापार एवं एजेन्सी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। प्रार्थी के पिता की मृत्यु तत्पश्चात वादी मुकदमा एजेन्सी से सम्बन्धित कागजात, सादी चेकबुक एवं गाड़ियों की खरीद–बिक्री में काफी हेरा–फेरी कर काफी रूपया गबन कर लिए। वादी मुकदमा कुछ सम्भ्रान्त व्यक्तियों के समक्ष गबन किये रूपयो को लौटाने का वादा किया चूंकि वादी प्रार्थी एवं घर परिवार का काफी विश्वास पात्र था इसलिए उनकी बातों पर विश्वास करके प्रार्थी द्वारा कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की गई। वादी द्वारा लगभग 15 लाख रूपया भिन्न–भिनन तारीखों में कुछ नगद व कुछ जरिए आरटीजीएस दिया गया, शेष लगभग 25 लाख रूपया शेष वादी को प्रार्थी को देना है लेकिन किसी भी तरह शेष 25 लाख रूपयो की वापसी न करना पड़े इसलिए वादी ने यह कुचक्र रचकर स्थानीय पुलिस से मिलकर प्रार्थी के विरूद्ध उक्त मुकदमा लिखाया और बगैर कोई निष्पक्ष विवेचना किये स्थानीय कोतवाली नगर की पुलिस ने आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय पर दाखिल कर दिया। प्रार्थी सम्भ्रान्त परिवार का व्यक्ति है। प्रार्थी को इस बात की आशंका है कि बिना निष्पक्ष विवेचना किये ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है तथा माननीय न्यायलय सीजेएम महोदय के यहाँ से बीडब्लू जारी कराने के पश्चात एन०बी०डब्लू० जारी कराकर प्रार्थी को अपमानित करके गिरफ्तार कर सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वादी ने फर्जी तरीके से राजनैतिक प्रभाव का बेजा इस्तेमाल करके झूठें तथ्यों के आधार पर फर्जी घटना दिखाकर मुकदमा दर्ज कराया है जबकि एफआईआर में वर्णित कथन किसी प्रकार से सत्य नहीं है। प्रार्थी किसी प्रकार के अपराध में सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी गवाहान को न तो धमकायेगा और न ही पक्ष में करने के लिए लालच देगा। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

3– राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

का विरोध करते हुये तर्क किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस तर्क के साथ अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा विनय सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा को इस आशय की तहरीर दी गयी कि वादी मुकदमा से डिटरजन फैक्ट्री लगाने के नाम पर करणदीप मल्होत्रा ने कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने खाते में 10,00000 रूपये ट्रांसफर करवा लिये और अन्य कारणों का हवाला देकर 5,00000 रूपये नकद प्राप्त किये। वादी द्वारा पैसा मांगने पर वो गाली गलौच व जानमाल से मारने की धमकी देते है। एक बार उसने अपने आवास पर राइफल भी तान दी थी। पूर्व में भी यह व्यक्ति कई लोगों के साथ यह कर चुका है, यह सुनने में आया है। अतः महोदय से प्रार्थना है कि करनदीप मल्होत्रा के खिलाफ प्रथम अभिसूचना रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

5– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी, अन्य प्रपत्र तथा थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर आरोप है कि अभियुक्त ने वादी मुकदमा से डिटरजन फैक्ट्री लगाने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने खाते में 10,00000 रूपये ट्रांसफर करवा लिये और अन्य कारणों का हवाला देकर 5,00000 रूपये नकद प्राप्त किये। वादी द्वारा पैसा मांगने पर गाली गलौच व जानमाल से मारने की धमकी देते है तथा एक बार अपने आवास पर राइफल भी तान दी। इस संबंध में सीडी के पर्चा नं. 9 पर विवेचक द्वारा वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया है जिसके अनुसार, अभियुक्त द्वारा उससे वार्ता कर डिटर्जेंट पाउडर की फैक्ट्री लगाने के लिए आश्वासन दिया गया तथा अवगत कराया गया कि आप 10 लाख मुझे भेज दो। उसके द्वारा दिनांक 22.02.2021 में 5,00,000 दिनांक 4.03.2021 में 2,00,000 दिनांक 05.03.2021 को 2,00,000 व 08.03.2021 को 1,00,000 अभियुक्त के पीएनबी हारीपुर के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किया गया था तथा भिन्न–भिन्न तिथियों में 5,00,000 अभियुक्त को लखनऊ में दिया गया। अभियुक्त द्वारा लगभग 2 वर्ष तक न तो फैक्ट्री लगाने के लिए न तो पार्टनर बनाया गया और न ही मेरा पैसा वापस किया गया। अभियुक्त से पैसे की कड़ाई से मांग की गई तब उनके द्वारा गाली गलौज करते हुए जान माल की धमकी दी गई तथा राइफल निकालकर तान दी गई। अभियुक्त द्वारा दिनांक 29.06.2023 को 17 लाख रुपए का चेक वादी नाम से हस्ताक्षरशुदा वादी मुकदमा दिया गया। जब चेक का भुगतान कराने हेतु बैंक में लगाया गया तो चेक बाउंस पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने डिटर्जेन्ट फैक्ट्री लगाने का झूंठा प्रलोभन देकर वादी मुकदमा से धनराशि प्राप्त की। अभियुक्त द्वारा फैक्ट्री स्थापित नहीं की गई। वादी मुकदमा द्वारा रुपया मांगने पर उसके द्वारा 17 लाख रुपए का बाउंस चेक दिया गया। अभियुक्त का उक्त कृत्य कपटपूर्ण एवं धोखाधड़ीपूर्ण है। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन के उपरांत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया गया जिस पर दिनांक 08.08.2024 को न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण पत्रावली में अभी तक आरोप भी विरचित नहीं किया जा सका है। आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के बाद लगभग ढ़ाई वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही में सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध जमानतीय अधिपत्र भी जारी किया गया है। अभियुक्त के आचरण से ऐसा प्रतीत होता होता है कि वह न्यायालय के आदेश का अनुपालन भी नहीं करना चाहता है। मामले में विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आवेदक/ अभियुक्त पर आरोपित अपराध के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया उसको उपरोक्त मामले में झूंठा फंसाया जाना परिलक्षित नहीं हो

रहा है। अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में जो अन्य कथन किए गये हैं, उन पर विचार विचारण के दौरान किया जायेगा। प्रस्तुत मामले में अन्यथा भी कोई आपवादिक स्थिति नहीं है जिससे उसके अग्रिम जमानत की याचना पर विचार किया जाए।

7– आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का परिलक्षित हो रहा है एवं मामले के तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

8– आवेदक/अभियुक्त करनदीप मल्होत्रा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०–1289/2026 निरस्त किया जाता है।

sd/–

दिनांक–08.06.2026

(फूलचन्द्र कुशवाहा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–4/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), गोण्डा।
आई०डी० संख्या– UP2712